पत्रावली मे पालना रिपोर्ट प्राप्त नही
पालना हेतु पुनः पत्र लिखा जावे।
पत्रावली दि० 12-12-17 को पेश हो।

12.12.17 [illegible] 320 से अवकाश मे पधारे है।
वकील प्रार्थी उप० [illegible]
[illegible] दिनांक 30.1.18
को [illegible]

30.1.18 पत्रावली आज पेश हुई। पी.ओ. सी. राजस्व अधिकारियों की बैठक में पधारे है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/3/18 को पेश हो।

6.3.18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार बेगूं द्वारा पालना पेश नहीं हुई है। पत्रावली अब पालना में दिनांक 03/4/18 को पेश हो।

3/4/18 पत्रावली पेश हुई। पालना प्राप्त नही हुई है तहसीलदार बेगूं अविलंब पालना पेश करे अब पत्रावली अब पालना में दिनांक 14/5/18 पेश हो।

28/05/2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मेघपुरा पर रखायी गयी। श्री [illegible] डोबाई द्वारा मौके पर मिश्र [illegible] व लड़ाई झगड़े की आशंकायुक्त रिपोर्ट की गयी है। इस संबंध में पक्ष तैयार करे पत्र लिखा जावे। पत्रावली अब पालना में दिनांक 17/07/2018 को पेश हो।
अनुपालना - इतना लिखे जाने पर SDR डोबाई के पति

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

करम मुकदमा ..... नं. 160/12 ..... सन् .....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	संबंधित पक्षों के विवाद की परिस्थिति की समझाईश की गयी। पक्षों की वास्तविक स्थिति के आधार पर पत्रावली में कार्यवाही किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः पत्रावली लेखबद्ध समाप्त की जाती है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर दफ्तर में जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	